2023 ... सहमति प्रकट ... रास्ते के ... पाबूराम, ... बनणी ... द्वारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर जिला बाडमेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 623 / 2025

प्रार्थी **बनाम** राजरथान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर

तहसीलदार बाडमेर

अचलाराम वीराराम पिसरान नीम्बाराम मीरों पत्नी नीम्बाराम मीरों देवी पत्नी नीम्बाराम चेलाराम बगताराम सोनाराम पिसरान कुशलाराम हमथाराम पुत्र राणाराम जाति जाट निवासी कुर्जा बबूदेवी पत्नी भगाराम जाति जाट निवासी जाटों की ढाणी केरिया तहसील चितलवाना वंदना पत्नी रतनसिंह जाति राजपूत निवासी करनाणियों का पार सुदरा तहसील गडरारोड खातेदार

रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 131 एवं 132,136

आदेश

दिनांक – 23/07/25

राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09. 2021 की पालना में राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 04.04.2025 को जारी परिपत्र के अनुसार रास्ता खालों अभियान के तहत के तहत सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में मौके पर स्थाई रूप में चालू (कदीमी) परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप में दर्ज नही है को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक 807 दिनांक 22.07.2025 द्वारा नेशनल हाईवे 68 से भीलों की ढाणी तक मौजा मुरटाला गाला पटवार हल्का महाबार के खेत खसरा नम्बर 2001/840 में निम्नानुसार भूमि में स्थाई रास्ते के रूप में खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है जो वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है, की किस्म परिवर्तित कर रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया। साथ ही काश्तकारों ने भी निवेदन किया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है तथा रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में अंकित किया जाता है, तो काश्तकारों को आपति नही है तथा सहमति पत्र पर सभी के अंगुष्ठ निशान व हस्ताक्षर अंकित है, तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित रास्ते को राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज करने का निवेदन किया है। मौके पर रास्ता बना हुआ है।

अतः तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं खातेदारों की सहमति के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 की पालना में राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 04.04.2025 को जारी परिपत्र के अनुसार रास्ता खालों अभियान के तहत

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

[illegible] भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश [illegible]
जाते हैं।

तहसील – बाड़मेर

पटवार मण्डल – महाबार

वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि							नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टि				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्ते में प्रभावित रकबा (हैक्टेयर में)	रास्ते की लम्बाई चौड़ाई (मीटर में) लम्बाई X चौड़ाई		[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2001/840	1.1736	बा.दो.	2001/840	0.0594	66	09	गै.म. रास[illegible]

नोट :– तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश को इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

के तहत स्वीकार कर निम्नानुसार भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश जाते है।

पटवार मण्डल – महाबार **तहसील – बाडमेर**

वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टी							नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टी				
क्र.सं.	जीसीएमएस पोर्टल पर दर्ज क्रमांक	तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्तें में प्रभावित रकबा (हैक्टेयर में)	रास्ते की लम्बाई चौड़ाई (मीटर में) लम्बाई X चौडाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	2025/	807/22-07-25	मुरटाला गाला	2001/840	1.1736	बा.दो.	2001/840	0.0594	66	09	गै.मु. रास्ता

नोट :– तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

आदेश सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर